UPMT010016032026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6191}
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–751/2026
दानिश कुरैशी प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मु.अ.सं. 312/2022, धारा–174ए भारतीय दण्ड संहिता, थाना सदर बाजार, जिला मथुरा के अभियुक्त **दानिश कुरैशी** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मु०अ०सं० 167/2021 धारा 366 भादवि थाना हाजा पर वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती डली उम्र करीब 25 वर्ष को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अभियुक्त दानिश कुरैशी पुत्र सारिक कुरैशी निवासी कुम्हारान थाना सदर बाजार जनपद मथुरा के विरुद्ध दिनांक 16/07/2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपहर्ता उपरोक्त की बरामदगी तथा अभियुक्त दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी हेतु उसके मकान तथा संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी, परंतु अपहर्ता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06/09/2021 को गैर जमानतीय अधिपत्र तथा दिनांक 08/12/2021 को धारा 82 दं.प्र.सं. (उद्घोषणा) जारी किए गए। अभियुक्त दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी हेतु पर्याप्त प्रयास किए गए, किन्तु अभियुक्त लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, जो कि धारा 174–ए भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 312/2022, धारा–174ए भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त दानिश कुरैशी के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है और इससे पूर्व कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सत्र न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अ.सं. 312/2022 राज्य बनाम दानिश कुरैशी, धारा 174ए आई०पी०सी० में दर्ज कराया गया है, जिसे प्रार्थी/अभियुक्त को थाना सदर बाजार पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तथा गिरफ्तार करके बेईज्जत करना चाहती है, जिससे कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे। मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मु.अ.सं. 167/2021 धारा–

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.26 10:31:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

366 आई०पी०सी०, थाना सदर बाजार, जिला मथुरा के आधार पर प्रार्थी पर प्रस्तुत मुकदमा लगाया गया है। उक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या दिनांक 08.06.2024 को प्रेषित कर दी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के उपरान्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा अपनी जामनत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय की बिना अनुमति के भारत नहीं छोडेगा तथा चार्ज के समय व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा मुकदमें के साक्षीयों को न तो डरायेगा और न धमकायेगा। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी ।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

   (1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

   (2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

   (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

   (4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार मु०अ०सं० 167/2021 धारा 366 भादवि थाना सदर बाजार, जनपद मथुरा में अभियुक्त दानिश कुरैशी के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, किन्तु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता रहा। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2021 को गैर जमानतीय वारंट तथा दिनांक 08.12.2021 को धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई, इसके बावजूद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। फलस्वरूप उसके विरुद्ध धारा 174–ए भादवि के अंतर्गत मु०अ०सं० 312/2022 पंजीकृत किया गया।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है। यह तर्क भी दिया गया कि मूल मुकदमे (धारा 366 भा.दं.सं.) में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट (FR) दाखिल की जा चुकी है, अतः इस मुकदमे का कोई आधार नहीं रहता। आवेदक ने यह आश्वासन भी दिया कि वह भविष्य में विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा और जमानत की शर्तों का पालन करेगा।

9. स्पष्ट है कि मूल अभियोग मु०अ०सं० 167/2021 में विवेचना उपरांत अंतिम आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174–ए भादवि का अपराध केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण पंजीकृत हुआ है। मूल मुकदमा जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त वाद पंजीकृत हुआ है, समाप्त हो चुका है। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र (Charge Sheet) न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, अतः अब कोई साक्ष्य संकलन/आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/ अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन, दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेग और उसके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

4– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 भा.दं.सं. के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/– रूपए की दो विश्वसनीय जमानतें व व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत किये जाएँ।

दिनांकः–25.03.2026

डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191